फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

देवीलाल बनाम रायसाहब आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट   प्रकरण संख्या 18 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
30.01.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या–1 आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा ललानाबास तहसील नोहर की जमाबंदी संवत् 2071–2074 के खाता संख्या 158/171 के ख.नं. 416/1 की 2.3710, ख.नं. 416/3 की 2.3720 कुल 4.7430 है0 वादभूमि के हिस्सा विशेष को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 29.02.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
29/2/24	पत्रावली पेश हुई वकील सायल एवं सामले उपस्थित। वकील निवेदन किया कि दोनों पक्षकारान की आपस में सहमति होने के कारण प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहते खारिज फरमावें। प्रार्थी [illegible] द्वारा अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण खारिज [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)	प्रार्थना पत्र चलाना नहीं चाहते देवीलाल [illegible] [illegible] एडवोकेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:07:07 IST
Reason: SelfAttested